

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

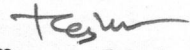
क्रमांक :- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III / 6556

दिनांक :- 11-01-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (B) (III) के अंतर्गत नियमित करते हुए कॉलम संख्या 05 में अंकित अवधि की वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

| क्र.स. | लैंक नं. | नाम (सर्वश्री) / पदनाम       | आदेशों की प्रतीक्षा अवधि                                                                                                     |                                                                        | विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है                                                                 |
|--------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)    | (2)      | (3)                          | आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (4)                                                                                                 | वेतन आहरण की अवधि (5)                                                  | (6)                                                                                                             |
| 1      | 12110    | रूचि राणावत / कनिष्ठ लेखाकार | दिनांक 03.12.2019 से 04.12.2019 तक (दिनांक 30.11.2019 एवं 01.12.2019 का राजकीय अवकाश एवं दिनांक 02.12.2019 का असाधारण अवकाश) | दिनांक 30.11.2019 से 01.12.2019 एवं दिनांक 03.12.2019 से 04.12.2019 तक | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ - 8000423 |

  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III / 6556

दिनांक :- 11-01-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गतभुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गतभुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/ कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित निजी पत्रावली।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)